अपील सूचना अधिकार संख्या 54/2020 (RCMS 2020/0097) छिन्दा सिंह पुत्र श्री मुखा सिंह निवासी 15 जीबी, पोस्ट ऑफिस 15 जीबी तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर – 335... (मोबाईल नं. 95870–80810) बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.02.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री छिन्दा सिंह उपस्थित नहीं है। **मैंनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2020 से तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो तहसीलदार श्रीविजयनगर प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई और न ही जवाब दिया है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, श्रीविजयनगर से वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2020 से निम्न सूचना चाही थी:

1. चक 8 बीजीडी''ए'' तहसील विजयनगर 1. नकल अलॉटमेंट मिसल 2. खसरा गिरदावरी 3. सूची नं. 08, सूची नं. 04 अलॉटमेन्ट नं 81/74, मुरब्बा नं. 154/386 अलॉटमेंन्ट मुखासिंह पुत्र श्री सोहन सिंह कम्बोज सिख अलॉटमेंन्ट दिनांक 18.03.1986 की समस्त की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
2. नकल जमाबन्दी ... से 1989 ... तारीकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:10 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर ने अपने पत्र दिनांक 06.03.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना के कुल 15 पृष्ठ है। 2रू. प्रति पृष्ठ के हिसाब से 30/— अखरे तीस रूपये के पोस्ट ऑर्डर भिजवाने का श्रम करावें ताकि सूचना भिजवाई जा सके।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
श्रीविजयनगर

चूंकि तहसीलदार, श्रीविजयनगर द्वारा अपलार्थी को वांछित सूचनाएं प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने हेतु सूचित किया जा चुका है, जो सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित राशि जमा कर तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर से वांछित सूचना प्राप्त कर सकते है। **आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:10 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर